

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बक्सर।**

फोन नं० - 06183-222161  
मो० नं० - 9470001274

पिन कोड - 802101  
ई-मेल - eercdbuxar@gmail.com

पत्रांक :- 931 (कुट्टीडेरा)

दिनांक :- 27/7/19

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
पथ निर्माण विभाग,  
पथ प्रमण्डल, बक्सर।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,  
डुमराँव।

विषय :- श्री जय प्रकाश यादव, पिता-श्री भिखारी यादव द्वारा किये गये शिकायत के निवारण के संबंध में।

प्रसंग :- राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार का चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) की निबंधन संख्या-749 दिनांक-26.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन शिकायत की मूल प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि श्री जय प्रकाश यादव, पिता-श्री भिखारी यादव द्वारा राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार का चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में दिये गये शिकायत प्रपत्र में दिया गया मामला, पथ निर्माण विभाग, बक्सर के पथ से संबंधित नहीं है। यह मामला ग्राम नुआँव (कुट्टीडेरा), पोस्ट- नुआँव, थाना-कृष्णाब्रह्म, प्रखंड-डुमराँव की ग्राम पंचायत से संबंधित है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित मामले की जाँच कर इसका निवारण अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।

अनु०:- शिकायत विहित-प्रपत्र की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,  
प० नि० वि०, पथ प्रमण्डल, बक्सर।

ज्ञापांक :- 931

दिनांक :- 27/7/19

प्रतिलिपि :- राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015 को सादर सूचनार्थ समर्पित।

OfficeCopy  
9407019

कार्यपालक अभियंता,

प० नि० वि०, पथ प्रमण्डल, बक्सर।

निबंधन संख्या... २५७

**राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार का चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)**

स्थल : .....

दिनांक : 26.07.2019

**शिकायत का विहित प्रपत्र**

|                                                                                                         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. शिकायतकर्ता<br>(दिव्यांगजन)                                                                          | जय प्रकाश यादव                                                                                   |
| 2. शिकायतकर्ता के पिता का नाम                                                                           | मिश्रारी यादव                                                                                    |
| 3. शिकायतकर्ता का पूरा पता<br>(दिव्यांगजन)                                                              | ग्राम-नुआँवा (कुही डेरा)<br>पोस्ट-नुआँवा<br>थाना-कुपणा बुधम<br>जिला-बक्सर<br>पिनकोड नम्बर 802111 |
| 4. शिकायतकर्ता का मोबाइल नम्बर                                                                          | 9801584116                                                                                       |
| 5. दिव्यांगता का प्रकार तथा प्रतिशत (%)                                                                 |                                                                                                  |
| 6. शिकायत का सम्बंधित विभाग का नाम<br>तथा पता                                                           |                                                                                                  |
| 7. शिकायत का संक्षिप्त विवरण                                                                            | (1) घर तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है।<br>(2) रास्ता है।                                      |
| 8. मांगी जा रही सुविधाओं का विवरण                                                                       | (1) घर तक जाने का<br>(2) रास्ता।                                                                 |
| 9. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016<br>की किसी कार्यकारी आदेश का प्रतिवादी<br>द्वारा उल्लंघन किया गया है। |                                                                                                  |

**घोषणा**

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त शिकायत से सम्बंधित कोई मामला बिहार/भारत क्षेत्र अन्तर्गत किसी अन्य प्राधिकार/अधिकार/न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक :

- (1) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
- (2) आधारकार्ड की छायाप्रति
- (3) शिकायत के समर्थन में दस्तावेज
- (4) अन्य दस्तावेज।

जय प्रकाश यादव

शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा के अन्तर्गत दिव्यांगजन के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का दायित्व राज्य आयुक्त निःशक्तता को सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा-80(ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्तता, व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित रहने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेंगे, जिनके लिए राज्य सरकार ही समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएँगे। इस कार्य के अधीन उनके कृत्यों के निर्वाहन के प्रयोजन के वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन के वाद का निपटारा करते समय किसी न्यायालय में निहित होती हैं।

कार्यालय उपयोग के लिए

दिनांक...26/07/19

मोबाल कोर्ट वाद संख्या .....749.....

- (1) सिविल सर्जन - दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने से सम्बन्धित।
- (2) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग - दिव्यांगजन पेंशन, उपकरण, पुनर्वास एवं दिव्यांगता प्रक्षेत्र में राज्य संचालित सभी योजनाओं का नोडल कार्यालय।
- (3) जिला पुलिस अधीक्षक - दिव्यांग पुरुष एवं महिला को प्रताड़ित करने से सम्बन्धित।
- (4) जिला भूमि सुधार उपसमाहर्ता - दिव्यांग पुरुष एवं महिला को भूमि से सम्बन्धित विवाद हेतु।
- (5) जिला बैंक के प्रबंधक/उपप्रबंधक - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेतु ऋण, स्वरोजगार हेतु ऋण से सम्बन्धित कार्य
- (6) उप विकास आयुक्त (DDC) - इन्दिरा आवास से सम्बन्धित।
- (7) जिला खेल-कूद पदाधिकारी - दिव्यांग पुरुष एवं महिला को खेल-कूद में सम्बन्धित।
- (8) जिला आपूर्ति पदाधिकारी - दिव्यांग पुरुष एवं महिला को जन वितरण प्रणाली से सम्बन्धित।
- (9) जिला परिवहन पदाधिकारी - पुरुष एवं महिला को ड्राइविंग लाइसेन्स से सम्बन्धित।
- (10) जिला शिक्षा पदाधिकारी - दिव्यांग पुरुष एवं महिला को छात्रवृत्ति एवं नामांकन से सम्बन्धित।
- (11) जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी - दिव्यांग पुरुष एवं महिला का पहचान पत्र बनाने से सम्बन्धित।
- (12) जिला कृषि पदाधिकारी - दिव्यांग पुरुष एवं महिला का खाद्य, बीज आदि का वितरण से सम्बन्धित।
- (13) बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग, वित्त एवं विकास निगम - मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना (1.50 लाख तक ऋण) एवं शिक्षा ऋण योजना से सम्बन्धित।
- (14) अन्य -
- (15)
- (16)

RCD EKE

(डॉ० शिवाजी कुमार)

राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष : 0612-2215041, मोबाईल : 9431015499

E-mail : scdisability2008@gmail.com

Website : scdisabilities.org

नोट : अगर 15 से 20 दिनों के अन्दर दिये गये आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित विभाग या कार्यालय में शिकायतकर्ता द्वारा अपील की जा सकती है। इसके साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय-16 की कंडिका-89 में यह प्रावधान है कि "कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो जुर्माने से दंडनीय होगा, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा और पश्चातवर्ती उल्लंघन करता है तो जुर्माने से पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा। किन्तु जो पाँच लाख रुपये रुपये तक का हो सकेगा तथा कंडिका-92 के अन्तर्गत दिव्यांगों से जुड़े अत्याचारों के अपराधी के लिए छः माह से अन्यून व अधिकतम पाँच वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किये जाने का प्रावधान है।

## निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्ररूप-2 और प्ररूप-3 में उल्लिखित मा  
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्स  
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्स  
(नियम 4 देखिए)



प्रमाण पत्र संख्या 1226 तिथि 18/2/12

यह प्रमाणित किया जाता है कि

मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी नम्र प्रकाश झा  
पिता/पति मिस्टर आदित्य जन्म तिथि 28/07/75 और  
पुरुष/महिला, रजिस्ट्रेशन नं० 0000000000 मकान नं० 0000000000  
वार्ड/गाँव/गली गुआँव डाकघर गुआँव प्रखण्ड कुमरौवा  
जिला बक्सर, राज्य बिहार का स्थाई निवासी जिनकी फोटो उपर लगी हुई है कि  
सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि -

यह मामला निःशक्तता के लिए है। उनकी स्थाई शारीरिक  
क्षति/ निःशक्तता का मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार (विनिर्दिष्ट किया  
जाना है) किया गया है तथा यह निम्नलिखित सारणी में निःशक्तता के सामने दर्शाया  
गया है :-

| क्र० | निःशक्तता            | शरीर का<br>प्रभावित अंग | निदान | स्थायी शारीरिक<br>निःशक्तता/मानसिक<br>निःशक्तता (%में) |
|------|----------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 1    | चलन संबंधी निःशक्तता | @                       |       |                                                        |
| 2    | कम दृष्टि            | #                       |       |                                                        |
| 3    | दृष्टि हीनता         | दोनों आँख               |       |                                                        |
| 4    | श्रवण क्षति          | £                       |       |                                                        |
| 5    | मानसिक मंदता         | X                       |       |                                                        |
| 6    | मानसिक रूग्णता       | X                       |       |                                                        |

जो लागू न हो उसे काट दें-

उपरोक्त स्थिति वर्धनशील/अवर्धनशील है उसमें सुधार होने की संभावना न होने की  
संभावना है।

*Handwritten signature and text:*  
18/2/12  
Dr. C. K. Singh

3 निःशक्तता का पुनर्मूल्यांकन का

(1) आवश्यकता नहीं है, या

(2) वर्ष 01 मास के पश्चात सिफारिश की जाती है और इसलिए यह 01  
राक 01 विधिमान्य रहेगा।

@ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर

# अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें

£ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के सबूत प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

| दस्तावेज की प्रकृति | जारी होने की तिथि | प्रमाण पत्र जारी करने वाले<br>प्राधिकारी का ब्योरा |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                     |                   |                                                    |

*Handwritten signature and text:*  
हृदी रोग विशेषज्ञ  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी  
अस्पताल के प्रधान का प्रति हस्ताक्षर और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का  
निशान जिसके पक्ष में निःशक्तता  
प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी:- यदि यह प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्राधिकारी जो सरकारी सेवा में नहीं है, के द्वारा जारी किया  
जाता है तो यह विधिमान्य तभी होगा जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर  
किया गया हो।

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का.अ. 908 (अ), तिथि 31 दिसम्बर  
1996 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## STANDARD FORMAT OF THE CERTIFICATE

NAME &amp; ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL Issuing the certificate

Certificate No. 03 Camp

Date 24/8/2019

## CERTIFICATE FOR THE PERSON WITH DISABILITIES

This is to certify that Shri/Smt./Kum. RUPESH KUMAR

Son/Wife/Daughter of Shri. Jay prakash yadav

Age 6 old male/female. Registration No.

in case of physically disabled/speech &amp; hearing disabled and has 70 % (Seventy percent) permanent (physical impairment/Visual impairment/speech &amp; hearing)

impairment in relation to his/her Cerebral Palsy.

I. D. Marks of Candidate Till on back

Note:-

1. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

2. Re-assessment is not recommended/ is recommended after a period of

month/years.

Strike out which not applicable

Vill./Moh. Nuanw

P. O. Nuanw

P. S. Krishna Brahmi

District. Buxar

(DOCTOR)  
SealSignature of the patient  
हमेश कुमार  
Thumb impression(DOCTOR)  
Sealहड्डी रोग विशेषज्ञ  
सदर अस्पताल, बक्सर(DOCTOR)  
Sealचिकित्सा पदाधिकारी  
सदर अस्पताल, बक्सरCountersigned by the  
Medical Superintendent/CMO/  
Head of Hospital (with seal)  
बक्सर

